बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० 1-03/2014 488 /पटना, दिनांक 07 जुलाई, 2014

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)।

विषय : **प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2014 : मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक-406 दिनांक 12.06.2014 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में दिशा-निर्देश एवं कार्यक्रम संसूचित किया गया है।

2) सहकारिता विभाग के पत्रांक-3593 दिनांक 04.07.2014 के आलोक में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार के पत्रांक-406 दिनांक 12.06.2014 द्वारा मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :

i) मतदाता सूची के तैयारी के लिए प्राधिकार द्वारा पूर्व निर्धारित कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.06.2014 के बदले दिनांक 31.07.2014 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया जाता है। केवल वैसे व्यक्ति जो दिनांक 31.07.2014 तक समिति की सदस्यता ग्रहण करते हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्ते पूरी करते हैं, के नाम ही मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कट-ऑफ तिथि तक जिनका सदस्यता शुल्क तथा शेयर मनी संबंधित को-ऑपरेटिव बैंक में जमा किया जाता है, उनका नाम ही मतदाता सूची में सम्मिलित होगा।

ii) प्राधिकार के पत्रांक-406 दिनांक 12.06.2014 की कंडिका-**6 (iii)** एवं **11** में उल्लिखित जिला सहकारिता पदाधिकारी के अतिरिक्त सहायक निबंधक (सहयोग समितियाँ)/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/ प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात् जिन व्यक्तियों द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी/ सहायक निबंधक (सहयोग समितियाँ)/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/ प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के आदेश के आलोक में सदस्यता शुल्क की राशि जिला सहकारिता बैंक में जमा की गयी है, उक्त राशि की जमा पर्ची एवं उक्त पदाधिकारियों के आदेश से संबंधित पत्र की प्रति उपलब्ध कराने पर उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा। साथ ही आपत्तियों के संबंध में भी उपर्युक्त के अनुसार नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा।

3) ऊपर वर्णित स्थिति में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) की मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
1	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	05.08.2014
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	09.08.2014
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	11.08.2014

क्र० पृ० उ०

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	11.08.2014
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	19.08.2014 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	30.08.2014

4) संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समिति/ समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2014 तक सूचनायें एकत्रित कर दिनांक 19.08.2014 तक इसे निश्चित रूप से प्राधिकार को समेकित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

5) निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। दिनांक 30.08.2014 को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र-एम 7 में ही सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित करेंगे एवं इसे उसी प्रपत्र में फैक्स या विशेष दूत द्वारा दिनांक 05.09.2014 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ, जिले की पैक्सवार अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची स्कैन कर एक ही सी० डी० में समेकित कर दिनांक 12.09.2014 तक प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

6) प्राधिकार के पत्रांक-406 दिनांक 12.06.2014 की अन्य बातें यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन,

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 488 /पटना, दिनांक 07 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि: सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/ सभी सहायक निबंधक (सहयोग समितियाँ)/ सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/ सभी नोडल पदाधिकारी, पैक्स चुनाव 2014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 488 /पटना, दिनांक 07 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 488 /पटना, दिनांक 07 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.7.14

मुख्य चुनाव पदाधिकारी